

## भारतीय भाषा संस्थान के क्षेत्रीय भाषा केंद्रों में भाषा अध्यापन कार्यक्रम

### एक अनोखी पहल

भारतीय भाषा संस्थान (भा.भा.सं/सी.आई.आई.एल) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1969 में की गई थी। मैसूर में स्थित भा.भा.सं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है। अपनी स्थापना के लगभग पाँच दशकों में भा.भा.सं सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभरा है। भारतीय भाषाओं पर व्यापक शोध को आगे बढ़ाने, प्रोत्साहन देने और उससे संबंधित प्रकाशन के लिए न ही सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी विशेष स्थान रखता है। संस्थान भारत के नागरिकों के बीच बहुभाषिकता और इस तरह राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अभिनव कार्यक्रम भी प्रदान करता है। यह 10 माह का भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से सेवारत शिक्षकों, भावी शिक्षकों और भारतीय भाषाओं में अपना करियर बनाने के इच्छुक जन सामान्य के लिए है। इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रशिक्षणार्थियों के अनुसार यह कार्यक्रम सकारात्मक बदलाव लाने और अच्छा प्रतिफल देने की क्षमता रखता है।

शिक्षाविदों में यह आम सहमति है कि शिक्षा मानव और सभ्यता के विकास के आधार के रूप में कार्य करती है और भाषा शिक्षा प्रदान करने के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। मानसिक विकास और ज्ञानार्जन में भाषा शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द्वितीय या तृतीय भाषा अधिगम हमारी मानसिक क्षितिज और संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करता है और अन्य संस्कृतियों के मध्य भाषाई समझ विकसित करने में सहायक होता है। यह बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करता है, भाषाओं और संस्कृतियों के विकास में अहम योगदान देता है। भारतीय भाषा संस्थान द्वितीय भाषा सीखने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। द्वितीय भाषा सीखकर वह राष्ट्रीय एकीकरण में सकारात्मक योगदान देते हुए पारस्परिक समझ और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। संस्थान का 10-माह का भाषा शिक्षा में डिप्लोमा आर्थिक लाभ और व्यक्तित्व का विकास करता है और करियर में अच्छे अवसर प्रदान कर सकता है। क्या आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं? यथाशीघ्र आवेदन करें तथा स्वयं और अपने छात्रों की आनेवाली पीढ़ियों के जीवन में, भाषाओं और संस्कृतियों के विकास में योगदान करें।

## निदेशक की कलम से

लगभग पाँच दशक पहले भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार हेतु भारतीय भाषा संस्थान (भा.भा.सं) की स्थापना की। अपनी स्थापना के दिन से यह संस्थान हर तरह से इस दायित्व का निर्वहन करता आ रहा है। इसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए भा.भा.सं ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम और कर्नाटक में क्षेत्रीय भाषा केंद्रों की स्थापना की और 10 माह का एक अनूठा भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया। संस्थान की इस पहल को बड़ी सराहना मिली क्योंकि यह त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन और राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान देने पर केंद्रित है। भारत की भाषा विविधता और अपने नागरिकों के बीच द्वि/ बहुभाषिकता के संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे शिक्षकों की निरंतर आवश्यकता रही है जो क्षेत्रीय भाषाओं को सिखाने के साथ उनमें शैक्षणिक सामग्री भी तैयार कर सकें। द्वितीय भाषा अधिगम के सकारात्मक प्रभाव, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में भी स्वीकार किया गया है। मैं, इस 10 महीने के भाषा पाठ्यक्रम के लिए शिक्षकों, भावी शिक्षकों, शोधार्थियों, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को आवेदन करने और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

डी. जी. राव  
निदेशक, भा.भा.सं

## क्षेत्रीय भाषा केंद्रों पर 10 माह का भाषा शिक्षा में डिप्लोमा

### द्वितीय भाषा अधिगम:

#### राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ वैश्विक पहुँच

#### 1. भाषा अध्यापन-अध्ययन हेतु आधुनिक सुविधायुक्त क्षेत्रीय भाषा केंद्र:

भारतीय भाषा संस्थान ने विद्यालयी शिक्षकों को द्वितीय भाषा में प्रशिक्षित करने के लक्ष्य, त्रिभाषा सूत्र और राष्ट्रीय एकीकरण के कार्यान्वयन में योगदान हेतु सात क्षेत्रीय भाषा केंद्र (तालिका 1 देखें) स्थापित किए हैं। लगभग पिछले 5 दशकों से ये क्षेत्रीय केंद्र प्रति वर्ष जुलाई से अप्रैल तक द्वितीय भाषा में 10 माह का भाषा शिक्षा में डिप्लोमा प्रदान करते रहे हैं। इस प्रशिक्षण में 1085 घंटों का भाषा अध्यापन और अध्ययन शामिल है। इस आवासीय कार्यक्रम की कुल प्रवेश क्षमता 506 है।

यह गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वितीय भाषा में पूरी प्रवीणता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाप्त होने पर प्रशिक्षणार्थियों (सेवारत शिक्षकों) से सीखी गई भाषा को तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाना अपेक्षित है और इस तरह वे संबंधित राज्यों में त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन में योगदान देते हैं।

क्षेत्रीय भाषा केंद्र (आर.एल.सी) पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम और कर्नाटक सहित सात राज्यों में स्थित हैं। इन केंद्रों के शैक्षणिक कर्मचारी भाषा अध्ययन और अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं। उन्हें द्वितीय भाषा के अध्यापन-अध्ययन सहित पाठ्यक्रम नियोजन, पाठ्यपुस्तकों के निर्माण एवं मूल्यांकन, अनुवाद और भाषा परीक्षण का अनुभव होता है। वे न केवल शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं बल्कि भाषा, संस्कृति, द्विभाषिकता, अनुवाद और भाषा शिक्षा से संबंधित अन्य क्षेत्रों के अध्ययन में नए मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। क्षेत्रीय भाषा केंद्रों में आधुनिक भाषा अध्यापन के लिए पर्याप्त सुविधाएँ हैं। एन.ई.आर.एल.सी, गुवाहाटी को छोड़कर सभी केंद्रों की भाषा प्रयोगशाला में 20-25 टर्मिनल्स और पुस्तकालय में 15,000 से अधिक पुस्तकें, पत्रिकाएँ और समाचार पत्र हैं। पुस्तकालयों में केंद्रों में पढ़ाए जाने वाली भाषाओं में साहित्य और सामाजिक विज्ञान पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के अलावा शब्दकोश, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में व्याकरण, अनुवाद और विभिन्न विषयों की संदर्भ पुस्तकें, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान की सामान्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ प्रशिक्षणार्थी अध्ययन वाली भाषा में पढ़ने के कौशल को विकसित कर सकते हैं और भाषा, साहित्य, आलोचना, सामाजिक और भाषा शिक्षण से संबंधित अन्य विषयों में अपनी रुचि अनुसार पढ़ सकते हैं।

तालिका 1: क्षेत्रीय भाषा केंद्र

क्र.सं	केंद्र	पढाई जानेवाली भाषाएँ	सीटें
1.	दक्षिण क्षेत्रीय भाषा केंद्र मानसगंगोत्री, मैसूरु - 570 006 दूरभाष: 0821-2512128 फैक्स: 0821-2416699	कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु	कन्नड़ 22 मलयालम 22 तमिल 22 तेलुगु 22
2.	पूर्व क्षेत्रीय भाषा केंद्र लक्ष्मीसागर, भुवनेश्वर - 751 006 दूरभाष: 0674-2974610 फैक्स: 0674-2572918	बंगाली, मैथिली, उड़िया और संताली	बंगाली 22 मैथिली 22 उड़िया 22 संताली 22
3.	उत्तर क्षेत्रीय भाषा केंद्र पंजाबी विश्वविद्यालय परिसर पटियाला - 147 002 दूरभाष: 0175-2286730 फैक्स: 0175-2282262	डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी और उर्दू	डोगरी 22 कश्मीरी 22 पंजाबी 22 उर्दू 22
4.	पश्चिम क्षेत्रीय भाषा केंद्र डेक्कन कॉलेज परिसर, पुणे - ४११ ००६ दूरभाष: 020-26699041 फैक्स: 020-26614710	गुजराती, कोंकणी, मराठी और सिंधी	गुजराती 22 कोंकणी 22 मराठी 22 सिंधी 22
5.	उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र सप्रून, सोलन - 173 211 दूरभाष: 01792-223424 फैक्स: 01792-225424	उर्दू	उर्दू 33
6.	उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र टीसी / 42-वी, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ -226010 दूरभाष: 0522-2304917 फैक्स: 0522-2304918	उर्दू	उर्दू 33
7.	पुर्वोत्तर क्षेत्रीय भाषा केंद्र 3931, बेलटोला कॉलेज रोड, माजीपारा, बोंगाँव, गुवाहाटी - 781 028 दूरभाष: 0361-2303867 फैक्स: 0361-2303152	असमिया, बोडो, मणिपुरी और नेपाली	असमिया 22 बोडो 22 मणिपुरी 22 नेपाली 22
		<b>कुल</b>	<b>506</b>

## 2. पात्रता और आवश्यक योग्यता:

### सामान्य:

- i. आवेदकों ने जिस भाषा के लिए आवेदन किया है उसमें कोई औपचारिक डिग्री, मूल/ मूल निवासी प्रवीणता या अनौपचारिक ज्ञान नहीं होना चाहिए।
- ii. आवेदकों ने किसी भी क्षेत्रीय भाषा केंद्र से भाषा में प्रशिक्षण न लिया हो या कार्यक्रम को बीच में न छोड़ा हो या वहाँ से बर्खास्त न किया गया हो।
- iii. आवेदक तालिका 1 में दी गई सूची से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं।
- iv. आवेदकों को जो भाषा सीखनी है उसका चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए क्योंकि पाठ्यक्रम में शामिल होने के पश्चात भाषा परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
- v. आवेदन में चयन की गई भाषा स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए अन्यथा उपलब्ध रिक्त सीटें क्षेत्रीय भाषा केंद्रों में आवंटित की जाएंगी।
- vi. उर्दू भाषा के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को एन.आर.एल.सी, पटियाला/ यू.टी.आर.सी, लखनऊ/ यू.टी.आर.सी, सोलन में से स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय भाषा केंद्र का नाम निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा तीनों क्षेत्रीय भाषा केंद्रों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार सीटें आवंटित की जाएँगी।
- vii. यदि कोई आवेदक किसी विशेष वर्ष में चयनित हुआ है और वह इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होता है तो अगले 3 वर्षों तक उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- viii. 1 जुलाई 2020 तक आवेदक की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन समिति के सर्वसम्मति पर ही सेवारत शिक्षकों को आयु में छूट दी जाएगी।
- ix. यह ध्यान रहे कि 10 माह के भाषा शिक्षा डिप्लोमा में अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत भाषा नहीं पढाई जाती है।

### विशिष्ट:

10 माह का भाषा शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम मुख्यतः सेवारत शिक्षकों के लिए है। आवेदकों का नियमित संकाय सदस्य होना अपेक्षित है; यदि अस्थायी हैं तो आवेदक को उसका पद/व्यवसाय जारी रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

हालाँकि सीटों की उपलब्धता के आधार पर आवेदकों में से भावी शिक्षकों या जन सामान्य को भी प्रवेश दिया जाएगा। तीनों श्रेणियों के लिए आवश्यक अर्हता नीचे दी गई है:

### अ) सेवारत शिक्षक

- i. स्नातक या समकक्ष डिग्री के साथ सरकारी/ सहायता प्राप्त सरकारी हाई स्कूल में (VI से X कक्षा तक) में न्यूनतम तीन साल का अध्यापन अनुभव।
- ii. वे आवेदक जिनके पास किसी भी अनुसूचित भारतीय भाषा में एम.ए के समकक्ष योग्यता हो उन्हें डी.इ.ओ से “योग्यता समकक्ष प्रमाणपत्र” प्रस्तुत करना होगा।

### ब) भावी शिक्षकों/शोधार्थियों हेतु

- i. शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री (बी.एड/एम.एड) या
- ii. पी.एच.डी प्राप्त या पी.एच.डी शोध छात्र
- iii. नेट/सेट/स्लेट/टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी

### स) जन सामान्य हेतु

- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या
- ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.फिल डिग्री या
- iii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा

नोट: नियमित पाठ्यक्रम (एम.ए/बी.एड./अन्य) करने वाले अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी श्रेणी के तहत आवेदन के लिए योग्य नहीं हैं।

### 3. पूर्ण लाभ सहित प्रवेश कैसे सुनिश्चित करें:

- i. आवेदक संस्थान की वेबसाइट: [www.ciil.org/ltp.aspx](http://www.ciil.org/ltp.aspx) से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन की **हार्ड कॉपी** डाउनलोड कर और रुपये 150/- (एक सौ पचास रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो "**MHRD HIGHER CAS CLG**" के पक्ष में नई दिल्ली में देय हो संलग्न करें। आवेदन नियत तारीख से पहले संस्थान पहुँचना चाहिए। अग्रिम प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- ii. सेवारत शिक्षकों को अपना आवेदन विद्यालय के प्रधानाचार्य और बी.ई.ओ/ डी.ई.ओ/ बी.डी.ओ/ सी.ई.ओ/ ई.ओ/ डी.पी.आई/ डी.डी.पी.आई/ जेड.ई.ओ/बी.एस.ए/स्कूल निरीक्षक के माध्यम से विधिवत प्रमाणित और अग्रेषित करना होगा।
- iii. सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक अपने मूल वेतन, वेतनमान, दै.भ., ए.डी.ए, म.कि.भ, न.प्र.भ, वेतन वृद्धि की तारीख आदि जैसे विवरणों सहित अंतिम वेतन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान वेतन संशोधित होने की स्थिति में आवेदक को भत्ते के साथ संशोधित वेतन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि प्रशिक्षण अवधि में प्रतिनियुक्ति भत्ता या किसी अन्य विशेष भत्ते का भुगतान करने की अनुमति है तो अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में इसका उल्लेख करना होगा।
- iv. केंद्र किसी भी अंशदायी योजना में नियुक्ता के योगदान का भुगतान नहीं करता है। आवेदकों को स्वयं इसकी व्यवस्था करनी होगी।
- v. भावी शिक्षकों / शोधार्थियों और जन सामान्य को अपने आवेदन को सहायक प्रमाण-पत्रों के साथ निदेशक, भा.भा.सं के कार्यालय में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त पी.एच.डी कर रहे शोधार्थियों को अपने विश्वविद्यालय से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" भी संलग्न करना होगा और उनके आवेदन को उनके शोध निदेशक (शिका) /मार्गदर्शक द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।
- vi. एस.सी, एस.टी और ओ.बी.सी श्रेणियों से संबंधित सीटों का आरक्षण संवैधानिक प्रावधान के अनुसार होता है। पात्र होने पर आवेदक इसका लाभ उठा सकते हैं।
- vii. सभी आवेदकों को चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कहा गया हो कि संबंधित आवेदक प्रशिक्षण के दौरान वातावरणीय एवं भोजन संबंधी बदलाव के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इसे आवेदन पत्र के साथ भेजा जा सकता है।

### 4. केंद्र तक की यात्रा:

- i. कार्यस्थल से भार मुक्त आदेश मिलने के पश्चात सेवारत शिक्षकों को रेल (II स्लीपर क्लास) और यदि उनका स्थान रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है तो बस (नॉन डीलक्स/ए.सी बसों) द्वारा सबसे कम दूरी मार्ग से न्यूनतम समय की यात्रा क्षेत्रीय भाषा केंद्र तक लेना चाहिए। यदि कोई यात्रा पर न्यूनतम यात्रा मार्ग से अधिक खर्च करता है तो उसे अतिरिक्त अवधि के लिए वेतन / टी.ए/ डी.ए नहीं मिलेगा।
- ii. चयनित अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के निर्धारित दिन केंद्र पर पहुँचना अपेक्षित है। हालाँकि 10 दिनों तक देर से रिपोर्टिंग की अनुमति देने का प्रधानाचार्य को अधिकार है।

## 5. केंद्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम:

- i. पूर्णकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में क्रमशः 14, 12 और 12 सप्ताह के प्राथमिक, माध्यमिक और उन्नत पाठ्यक्रम शामिल हैं। प्रत्येक कार्य दिवस पर 5.5 घंटे का अध्यापन होता है; नियमित अवधि के अंतराल में आवधिक परीक्षा और सत्र के अंत में आखिरी परीक्षा होती है। प्रशिक्षण से जुड़े सभी लाभ उठाने हेतु असाइनमेंट और परीक्षाओं में 60% उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- ii. आमतौर पर केंद्र द्वारा तैयार और उपयोग की जाने वाली अनुदेशात्मक सामग्री प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की जाती है।
- iii. दो सप्ताह का भाषा पर्यावरण यात्रा अनिवार्य है। यह बोलने, सुनने और समझने के कौशल में सुधार लाने और लोगों के सामाजिक रीति-रिवाजों, मान्यताओं और संस्कृति के साथ सीधे संप्रेषण के लिए अच्छा प्राकृतिक भाषा वातावरण प्रदान करता है। यदि प्रशिक्षणार्थी अप्रत्याशित कारणों से दौरे में शामिल नहीं हो पाता है तो उसे प्रधानाचार्य और निदेशक से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। इस अवधि को अवैतनिक अवकाश माना जाएगा और प्रशिक्षणार्थी को संबंधित भाषा संकाय द्वारा दिए गए विशेष असाइनमेंट को पूरा करना होगा।
- iv. प्राथमिक पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर 15 दिनों की मध्यावधि छुट्टी दी जाती है। अपरिहार्य कारणों से इस अवधि को कम या समाप्त किया जा सकता है।
- v. सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त के अलावा प्रशिक्षणार्थी को कोई अन्य अवकाश नहीं दिया जाएगा। यदि भारत सरकार के नियमों के अनुसार सेवारत शिक्षकों द्वारा किसी अन्य अवकाश का लाभ उठाया जाता है तो इस अवधि के लिए कोई वृत्ति नहीं दी जाएगी।
- vi. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को अध्ययन / लघु अवधि की परियोजनाएँ लेने की अनुमति नहीं है। वे भाषा प्रशिक्षण के दौरान कोई अन्य परीक्षा नहीं दे सकते हैं।
- vii. प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण के दौरान सभी कक्षाओं में उपस्थित होने और केंद्र के नियमों और विनियमों का पालन करना अपेक्षित है।
- viii. प्रशिक्षण अवधि के दौरान वे भारत सरकार के अनुशासन और आचरण नियमों से बाध्य होंगे।
- ix. सामान्य तौर पर प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम को बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। हालाँकि, विशेष परिस्थिति में प्रशिक्षणार्थी सक्षम प्राधिकारी से निवेदन कर सकता है।
- x. अध्ययन में खराब प्रदर्शन या किसी अन्य दुर्व्यवहार करने पर निदेशक बिना अनुमति लिए प्रशिक्षणार्थी को बर्खास्त कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रशिक्षणार्थी पर केंद्र द्वारा खर्च की गई संपूर्ण लागत उससे वसूल की जा सकती है। इसके अलावा निदेशक उसके मूल विभाग को प्रशिक्षणार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है।
- xi. प्रतिनियुक्ति की किसी भी शर्तों में छूट/सुधार/रद्द/संशोधन करने, प्रवेश का अधिकार, आवेदकों की संख्या, उपलब्ध सीटों की संख्या और अध्ययन की भाषा के आवंटन या अन्य किसी ऐसी विशेष परिस्थिति में छूट का अधिकार निदेशक के पास सुरक्षित है।
- xii. प्रशिक्षणार्थी को क्षेत्रीय भाषा केंद्रों में शामिल होने के समय कार्यालय में शपथ पत्र देना होगा कि उसने पहले किसी भी आर.एल.सी से तालिका 1 में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी भी भाषा में 10 महीने का भाषा शिक्षा डिप्लोमा नहीं किया है।
- xiii. प्रशिक्षणार्थियों को यह भी शपथ पत्र देना होगा कि यदि वह प्रशिक्षण बीच में छोड़ता (ती) है तो उसे मिलने वाला मानदेय और वृत्ति की कुल राशि की भरपाई उससे वसूल की जा सकती है।

## 6. छात्रावास में प्रवास:

- i. सभी क्षेत्रीय भाषा केंद्र मूलभूत सुविधाओं से युक्त हैं।
- ii. प्रशिक्षणार्थी केंद्र द्वारा उपलब्ध कराये गए छात्रावास में न्यूनतम मासिक किराए पर रह सकते हैं।
- iii. प्रशिक्षणार्थी को विशेष कारण से प्रधानाचार्य और निदेशक से अनुमोदन मिलने पर छात्रावास के बाहर रहने की अनुमति है।
- iv. प्रशिक्षणार्थी अपने परिवार के सदस्यों के साथ छात्रावास में नहीं रह सकता है।
- v. प्रधानाचार्य द्वारा निर्दिष्ट एक जमा राशि प्रशिक्षण की शुरुआत में देय है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान नुकसान एवं अन्य खर्चों की भरपाई करने के बाद जमा राशि वापस की जाएगी।
- vi. क्षेत्रीय भाषा केंद्र का ठेकेदार हॉस्टल मेस चला सकता है या केंद्र के वार्डन के निर्देशन में प्रशिक्षणार्थियों के कुछ प्रतिनिधियों की मदद से भी चलाया जा सकता है। प्रशिक्षणार्थी मेस के शुल्क का भुगतान सीधे वार्डन को कर सकते हैं या कार्यालय मासिक वृत्ति के भुगतान के समय उसे काट सकता है।

## 7. प्रशिक्षण कार्यक्रम के लाभ:

### टी.ए/डी.ए:

टी.ए/डी.ए का भुगतान केवल सेवारत शिक्षकों को उनकी पात्रता अनुसार आने-जाने का यात्रा व्यय दिया जाएगा।

### परिलब्धियाँ:

सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के चयनित सेवारत शिक्षकों को उनके संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारियों विद्यालय निरीक्षक/डी.ई.ओ द्वारा द्वारा भेजे गए अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर उनके वेतन का भुगतान क्षेत्रीय भाषा केंद्रों के संबंधित प्रधानाचार्यों द्वारा किया जाएगा।

### प्रोत्साहन राशि:

भावी शिक्षकों/शोधार्थियों को आर.एल.सी से भाषा सीखने के लिए 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र ) प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

### वृत्ति:

सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान रु 800/- (आठ सौ रुपये मात्र) की वृत्ति दी जाएगी।

## कृपया ध्यान दें कि जन सामान्य केवल वृत्ति पाने के हकदार हैं।

### प्रशिक्षण उपरांत लाभ:

- i. केंद्र से प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के पश्चात शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विद्यालयों में सीखी गई भाषा का अध्यापन करेंगे। राज्य के कुछ विद्यालयों में इन भाषाओं को तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाने का प्रावधान है। उन्हें ऐसे स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा और यदि वह एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दस छात्रों को सप्ताह में न्यूनतम तीन कक्षाएँ लेकर उस भाषा का अध्यापन करते हैं तो वे प्रति माह 70/- रुपये नकद भत्ता पा सकते हैं। भत्ते के बारे में प्रासंगिक जानकारी केंद्रों के प्रधानाचार्यों के पास से अनुरोध करने पर उपलब्ध है।
- ii. शिक्षकों को प्रशिक्षण उपरांत कुछ लाभ भी हैं जिनमें पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, संबंधित भाषाओं के मूल वातावरण में अपने छात्रों के साथ राष्ट्रीय एकता शिविर करना शामिल हैं। संपर्क कार्यक्रम और विभिन्न राज्यों में विद्यालयों में बुक कॉर्नर की स्थापना अन्य लाभ हैं।
- iii. भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम संप्रेषण कौशल में सुधार करने, आधुनिक तरीकों से भाषा और अन्य विषयों के अध्यापन को विकसित करके भाषा, साहित्य और संस्कृति में उनकी क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।
- iv. पाठ्यक्रम देश के विभिन्न भागों, विविध पृष्ठभूमि के लोगों से बातचीत करने और उनके व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।



**LANGUAGE TEACHING PROGRAMME  
AT REGIONAL LANGUAGE CENTRES OF  
CENTRAL INSTITUTE OF INDIAN LANGUAGES**

**A Unique Initiative**

The Central Institute of Indian Languages (CIIL) was established by the Government of India in 1969. Located at Mysuru, CIIL functions as a subordinate office for the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education. In about five decades of its existence, CIIL has emerged as a premier Institute for the development of all Indian languages. It is recognised within and outside the country for carrying out and supporting extensive research and publication on Indian languages. The Institute also offers an innovative programme with an objective to promote multilingualism among the citizens of this country and thereby promote national integrity and social harmony. This 10-month language training programme is offered mainly to in-service and prospective teachers, and also to general public interested in developing a career in Indian languages. The trainees opting for this programme have found it bearing potential to cause positive changes and provide rewarding experiences.

There is a general consensus among scholars that education serves as the basis for human development and growth of civilization and that language is one of the most significant means of imparting education. Language education plays a facilitative role in mental development and knowledge production. Learning a second or a third language broadens our mental horizon, develops cognitive abilities and widens cross-cultural and cross-linguistic understanding. It supports multilingualism and contributes to the development of languages and cultures. The Central Institute of Indian Languages offers a unique opportunity for learning a second language. By choosing to learn a second language, one can make a positive contribution to national integration and promote intercultural understanding and cooperation. This 10-month Diploma in Language Education of the Institute offers economic benefits and personality development that may also create promotional avenues in one's career. Interested? Apply at the earliest and make a difference in your life, in the lives of generations of your students and in the growth of your languages and cultures.

### **From the desk of the Director**

Nearly five decades ago, the Government of India established the Central Institute of Indian Languages (CIIL) for the promotion of Indian languages. Since then, the Institute has been carrying out this work by all means. In pursuance, CIIL established regional language centres in Punjab, Himachal Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, Odisha, Assam and Karnataka, and introduced a unique 10-month language training programme. This initiative of the Institute saw an immense response as it focussed on the implementation of the three language formula and contribute to national integration. Considering the language diversity of India and the need for conserving bi/multilingualism among its citizens, there has been a constant need for teachers who can teach regional languages and prepare pedagogical materials in them. The positive effect of learning a second language is well-known and accepted in social as well as academic spheres. I invite teachers, prospective teachers, research scholars, youth and women, in particular, to apply for this 10-month language course and make the best of this opportunity.

D. G. Rao  
Director, CIIL

## **10-MONTH DIPLOMA IN LANGUAGE EDUCATION AT REGIONAL LANGUAGE CENTRES:**

### **Second Language Learning:**

#### **A National Outlook with a Global Reach**

#### **1. The Regional Language Centres with Modern Facilities for Language Teaching-Learning:**

The Central Institute of Indian Languages has established seven Regional Language Centres (see Table 1) with a goal of training school teachers in a second language and thereby contribute to the implementation of three-language formula and national integration. These Regional Centres offer a 10-month Diploma in Language Education in second language for about 5 decades usually from *July to April* every year. *It involves 1085 hours of effective language instruction and learning. The total intake of this residential programme is 506.*

This intensive training programme enables one to gain full mastery of the concerned second language. On successful completion, the trainees (in-service teachers) are required to teach the language learnt as a third language thereby contributing to the implementation of Three Language Formula in the concerned states.

The Regional Language Centres (RLCs) are located in seven states including Punjab, Himachal Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, Odisha, Assam and Karnataka. The members of the academic staff at the Centres are trained in language teaching and Applied Linguistics. They have a rich experience of second language teaching-learning including curriculum development, preparation and evaluation of textbooks, testing, and translation. They not only provide training to the teachers but also open up new vistas in the study of language, culture, bilingualism, translation and other areas related to language education. The Regional Language Centres have adequate facilities for modern language teaching. Barring NERLC, Guwahati, all the Centres have a well-equipped language laboratory of 20-25 terminals and library with more than 15,000 books, journals and newspapers. The libraries house a wide range of books on literature and social sciences in the languages taught at the Centres, besides dictionaries, reference books, general books in applied linguistics, grammar, translation and various topics in English and other languages. The trainees can develop reading skills in the language they learn and fulfil their interests in other topics related to language, literature, criticism, social and language teaching.

**Table 1: REGIONAL LANGUAGE CENTRES**

Sl. No.	Centres	Languages Taught	Seats
1.	Southern Regional Language Centre Manasagangotri, Mysuru – 570 006 Ph.: 0821-2512128 Tel.Fax: 0821-2416699	Kannada, Malayalam, Tamil, and Telugu	Kannada 22 Malayalam 22 Tamil 22 Telugu 22
2.	Eastern Regional Language Centre Laxmisagar, Bhubaneswar – 751 006 Ph.: 0674-2974610 Fax: 0674-2572918	Bengali, Maithili, Oriya and Santali	Bengali 22 Maithili 22 Oriya 22 Santali 22
3.	Northern Regional Language Centre Punjabi University Campus Patiala – 147 002 Ph.: 0175-2286730 Fax : 0175-2282262	Dogri, Kashmiri, Punjabi and Urdu	Dogri 22 Kashmiri 22 Punjabi 22 Urdu 22
4.	Western Regional Language Centre Deccan College Campus, Pune – 411 006 Ph.: 020-26699041 Tel.Fax: 020-26614710	Gujarati, Konkani, Marathi and Sindhi	Gujarati 22 Konkani 22 Marathi 22 Sindhi 22
5.	Urdu Teaching and Research Centre Sapruon, Solan – 173 211 Ph.: 01792-223424 Tel.Fax: 01792-225424	Urdu	Urdu 33
6.	Urdu Teaching and Research Centre TC/42-V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Ph.: 0522-2304917 Fax: 0522-2304918	Urdu	Urdu 33
7.	North Eastern Regional Language Centre 3931, Beltola College Road, Majipara, Bongaon, Guwahati – 781 028 Ph.: 0361-2303867 Tel.Fax: 0361-2303152	Assamese, Bodo, Manipuri and Nepali	Assamese 22 Bodo 22 Manipuri 22 Nepali 22
		<b>TOTAL</b>	<b>506</b>

**2. Eligibility and Essential Qualifications:****General:**

- i. The applicant should not have any formal degree, native/nativised proficiency or informal knowledge in the language applied for.
- ii. The applicants should not have been trained in any of the languages at the Regional Language Centres or have discontinued or have been terminated from the RLCs.

- iii. The applicants can select a language from the list provided in Table 1.
- iv. The applicants should select the language they want to learn carefully as change in the language choice is not permissible after joining the course.
- v. Preference of language should be clearly mentioned in the application. Otherwise, seats will be allotted according to the vacancies available in the Regional Language Centres.
- vi. The applicants opting for Urdu language should clearly specify the name of the Regional Language Centre viz., NRLC, Patiala / UTRC, Lucknow / UTRC, Solan otherwise the seats will be allotted according to the vacancies available in the three Regional Language Centres.
- vii. If a candidate is selected in a particular year and if they have not reported to the language training, their candidature will not be considered for next 3 years.
- viii. He/she must be below 45 years of age as on 1<sup>st</sup> July 2020. Age relaxation will be given only for In-service Teachers at the discretion of the selection committee
- ix. It should be noted that English, Hindi and Sanskrit languages are not taught in the 10-month Diploma in Language Education.

**Specific:**

The 10-month Diploma course in Language Education is meant primarily for in-service teachers. The applicants should preferably be a regular faculty; if temporary, the applicant must produce a certificate that she/he is likely to continue in the same position/profession.

However, depending on the availability of seats, admission will also be provided to applicants who are either prospective-teachers or general public. The essential qualifications for all the three categories are given below:

**a) In-service Teachers**

- i. A Bachelor's degree or equivalent with a minimum of three years teaching experience in a High school (from VI to X standard) in Government/Fully Government-aided schools.
- ii. Applicants having an equivalent qualification to M.A in any of the scheduled Indian languages must produce a "Qualification Equivalent Certificate" from DEO.

**b) For Prospective Teachers/Research Scholars**

- i. A Bachelors or Masters degree in Education (B.Ed./M.Ed) or
- ii. Ph.D completed or Ph.D pursuing scholars or
- iii. NET/SET/SLET/TET qualified candidates

**c) For General Public**

- i. A Bachelor's degree from a recognised university or
- ii. M.Phil Degree from a recognised university or
- iii. A Diploma from a recognised university

Note: Those pursuing regular courses (M.A./B.Ed./any other) are not eligible to apply under any of the above categories.

### **3. How to ensure Admission with Full Benefits:**

- i. Applicants must download and send the **hard copy** of the application in the prescribed form which is available in the Institute's website: [www.ciil.org/ltp.aspx](http://www.ciil.org/ltp.aspx) along with a crossed demand draft for. Rs. 150/- (Rupees One Hundred and Fifty only). Demand Draft should be drawn in favour of '**MHRD HIGHER CAS CLG**' payable at **New Delhi**. The application must reach the Institute before the due date. There is no need to send an advance copy.
- ii. In-service teachers must submit their application through proper channel duly certified and forwarded by the Headmaster of the School and BEO/DEO/BDO/CEO/EO/DPI/ DDPI/ ZEO/BSA/Inspector of schools.
- iii. Teachers from Government/Fully Government-aided schools must produce their last pay certificate indicating details such as basic pay, scale of pay, DA, ADA, HRA, CCA, date of increment etc. If the pay is revised during the period of training, the applicant must produce the revised pay certificate with allowances. If deputation allowance or any other special allowance is permissible to be paid during the training period, this may also be mentioned in the last pay certificate.
- iv. The Centres do not pay employer's contribution under the scheme of Contributory Fund. Applicants must make necessary arrangements for this.
- v. Prospective teachers/research scholars and general public must submit their applications directly to the Director, CIIL along with supporting documents. Besides this, PhD pursuing scholars must also attach a "No Objection Certificate" from their University and their applications should be forwarded by their Guides.
- vi. The reservation of seats belonging to SC, ST and OBC categories is available as per the Constitutional provision. The applicants may avail this, if eligible.
- vii. All applicants must submit a certificate of fitness issued by a Medical Officer stating that the concerned applicant is physically fit and can sustain food and environmental conditions of the place of training. This may be sent along with the application form.

### **4. Travel to the Centre:**

- i. After getting relieve order from the duty in place of work, the in-service teachers must take minimum time to travel to the Regional Language Centre by the shortest route either by rail (II sleeper class only) or by bus (non Deluxe/AC buses), if the place is not connected by rail. If one spends more than the minimum travel on the journey, she/he will not get salary/TA/DA for the extra period.
- ii. The selected candidates are expected to reach the Centre on the day prescribed for the beginning of the course. However, the Principal has the discretion to grant permission of reporting late up to 10 days.

### **5. Training Programme at the Centres:**

- i. The full time Diploma course includes Basic, Intermediate and Advanced Course(s) for 14, 12 and 12 weeks respectively. There is 5.5 hours of instruction on each working day; Periodical tests and final examination are conducted at the end of each term. It is essential to secure 60% pass marks in the assignments and examinations in order to avail all the benefits associated with the training.
- ii. Generally the instructional materials prepared and used by the Centres are provided to the trainees.

- iii. Language Environment Tour for two weeks is mandatory. This provides an intensive natural language environment for improvement of speaking, listening and understanding skills and direct interaction with the people and their social customs, beliefs and culture. If trainees are unable to join the tour for reasons beyond their control, they require a prior permission of the Principal and Director in the matter. This period will be considered as period without pay and the trainee should complete a special assignment given by the concerned language faculty.
- iv. A mid-term vacation of 15 days is given on the completion of Basic course. The duration may be reduced or abolished in exceptional circumstances.
- v. A period of 10 days casual leave will be provided during the training period for all the trainees. No other leave will be granted to trainees other than the above. If any other leave is availed by the In-service teachers, as per Government of India leave rules, no stipend will be admissible for such period.
- vi. During the training period, trainees are not permitted to undertake studies/short term projects. They may not appear for any examination during the language training.
- vii. Trainees are expected to be present for all classes and follow the rules and regulations of the Centre.
- viii. They will be governed by the discipline and conduct of the Govt. of India rules during the period of training.
- ix. In general, trainees cannot withdraw from the training programme. However, in exceptional cases, the trainee may approach the competent authority for consideration of the same.
- x. The Director may terminate a trainee in case of absence without permission, poor performance in study or any other misconduct. In such circumstances, the entire cost incurred by the Centre on the trainee may be recovered from him/her. Furthermore, the Director may recommend disciplinary action against the trainee to his/her parent Department.
- xi. The Director reserves the right to relax/modify/revoke/amend any of the conditions of deputation, the right of admission and the allotment of a language for learning depending upon the number of applicants, number of seats available or any other such contingency.
- xii. The trainees must submit an undertaking to the Office at the time of joining to Regional Language Centres that they have not undergone 10-month Diploma in Language Education in any of the languages listed in *Table 1* in any of the RLCs earlier.
- xiii. Trainees must also submit an undertaking that if he/she leaves in the middle of the training, the total amount of honorarium and stipend received may be recovered from him/her.

#### **6. Stay at the Hostel:**

- i. All Regional Language Centres have modest hostel facilities.
- ii. The trainees may stay in the hostel accommodation which is provided by the Centre on a nominal monthly rent.
- iii. A trainee may be permitted to stay outside the hostel on producing genuine reason and obtaining permissions of the Principal and the approval of the Director.
- iv. The trainee cannot stay in the Hostel with his/her family members.

- v. A mess deposit as specified by the Principal is payable at the beginning of training. The deposit is refundable after adjusting expenses due to damage or any loss during the training period.
- vi. A contractor of the Regional Language Centre may run the hostel mess or it may be run with the help of the representatives of the trainees with the guidance of the Warden of the Centre. Trainees may pay the mess charges directly to the Warden or the Office may deduct them at the time of making payment of monthly stipend.

## **7. Benefits of the Training Programme:**

### **TA/DA:**

TA/DA will be paid only for in-service teachers for their onward and return journeys as per their eligibility.

### **EMOLUMENTS:**

The selected in-service teachers from Government/Fully Government aided schools will be paid their salaries based on the Last Pay Certificate sent by their respective Drawing and Disbursing Officers duly countersigned by the Inspector of Schools/DEO to the concerned Principals of the Regional Language Centres.

### **INCENTIVES:**

The prospective teachers/research scholars will be paid an amount of Rs. 5000/- (Rupees Five Thousand only) per month as an incentive to learn a language from the RLCs.

### **STIPEND:**

All trainees will be paid a stipend of Rs.800/- (Rupees Eight Hundred only) per month during the training period.

**Please note that the General Public are entitled to stipend only.**

### **Post-Training Benefits:**

- i. After the completion of the training programme, the teachers are expected to teach the language they have learnt at the Centres in their school. There is a provision for teaching these languages as a third language in some schools of the state. He/She will be posted in such schools and if he/she teaches a language for a minimum of three periods a week to at least ten students for one academic year, he/she is entitled to get Rs 70/- per month as **Cash Allowance**. The relevant information about claiming allowance is available on request with the Principals of the Centres.
- ii. The teachers have some post-training benefits that include Refresher Courses, National Integration Camps along with their students in the native environment of the languages concerned. Contact programme and the establishment of Book corners in schools in different states are other benefits.
- iii. The language training programme would help to improve the communication skills, develop modern methods of teaching language(s) and other subjects, and increase their competence in language, literature and culture.
- iv. The course provides an opportunity to interact with people from different parts of the country with diverse backgrounds and develop their personality.